UPL 13.03.15

सं. सं. – 8/कृ. नि. यो. वि. – 45/13

दिनांक 18.02.2015 को कृषि विभाग, विकास भवन के सभा कक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–पंजी में संधारित।

1. **उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–**

1.1 बीज ग्राम योजना वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक मात्र भागलपुर, वैशाली, कटिहार, नवादा, सिवान, समस्तीपुर एवं सहरसा जिला से दोनों वर्षो का विहित प्रपत्र में सही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है। शेष जिला कृषि पदाधिकारियों को वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 में स्वीकृत बीज ग्राम योजना अंतर्गत निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निम्न निदेशों का पालन करते हुए अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

1.2 पत्रांक 630 दिनांक 02.02.2012 अर्थात दिनांक 01.10.2011 के बाद स्वीकृत राशि का यू0सी0 तैयार करने हेतु नये विहित प्रपत्र बी0टी0सी0 42ए0 के साथ चेकस्लिप भी भरना है। बी0टी0सी0 42ए0 तथा चेकस्लिप की प्रति सभी संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी को दिनांक 12.01.2015 के राज्य स्तरीय बैठक में उपलब्ध कराया गया है।

1.3 स्वीकृति आदेश सं0 4808 दिनांक 22.09.2009 एवं 3054 दिनांक 08.07.2009 द्वारा स्वीकृत राशि के लिए संभव हो तो अलग–अलग उपयोगिता प्रमाण–पत्र पुराने प्रपत्र बी0टी0सी0 42ए0 में तैयार किया जाय। इसके साथ चेकस्लिप आवश्यक नहीं है।

1.4 आवश्यक राशि यदि प्रत्यार्पित किया गया है तो प्रत्यार्पण का पत्रांक एवं दिनांक तथा संबंधित अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।

1.5 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मूलप्रति देना आवश्यक है।

1.6 यदि चालान से राशि जमा किया गया है तो चालान का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाय।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2 **बीज :–**

2.1 **प्रमाणित बीज सत्यापन की समीक्षा–**

प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा जानकारी दी गयी कि बांका जिला में टी0डी0सी0 का खरीफ 2012 का 99.90 क्वीं0 धान बीज एवं रबी 2013–14 का 300 क्वीं0 गेहूं बीज एवं राष्ट्रीय बीज निगम का वर्ष 2013–14 का 40 क्वीं0 गेहूं बीज, मुंगेर जिला में कृभको का वर्ष 2012–13 में 600 क्वीं0 गेहूं बीज तथा 2013–14 में 151.60 क्वीं0 गेहूं बीज और जमुई जिलों में टी0डी0सी0 का खरीफ वर्ष 2012 में 210.36 क्वीं0 धान, रबी 2012–13 में 830 क्वीं0 गेहूं एवं खरीफ 2013 में 105.30 क्वीं0 धान बीज का सत्यापन लंबित है। कृषि निदेशक द्वारा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब पूर्ण सत्यापन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, रा0कृ0वि0यो0 एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.2 **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–**

वितीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी पदाधिकारी, NFSM कोषांग द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वितीय वर्ष 2010–11 धान बीज में पश्चिम चम्पारण, सुपौल, कटिहार, गया एवं जमूई जिला का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बैठक में कृषि निदेशक को अवगत कराया गया कि अधिकांशतः मामला बिहार राज्य

बीज निगम को भुगतान से संबंधित है। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा प्रपत्र 'क' अत्यंत विलम्ब से उपलब्ध कराया गया था तथा कई पदाधिकारियों के स्थानांतरण हो जाने के कारण सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृषि निदेशक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, NFSM को निदेश दिया गया कि प्रपत्र 'क' की खोज करें कि कितने मात्रा का प्रपत्र 'क' मिला था या मिलना चाहिए था। इसे 15 दिनों के अंदर जिला कृषि पदाधिकारियों से लगातार समीक्षा करके सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

कृषि निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि आगामी बुधवार दिनांक 25.02.2015 तक संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित प्रभारी पदाधिकारी सत्यापन कार्य पूर्ण कर लें।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0 एवं जिला कृषि पदाधिकारी)

2.3 अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम वर्ष 2014–15 :–

राज्य योजनान्तर्गत खरीफ 2014 में प्रमाणित धान बीज वितरण अन्तर्गत जिला कृषि पदाधिकारी, बांका, मधेपुरा एवं गया द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम तथा जिला कृषि पदाधिकारी, बांका द्वारा बिहार राज्य बीज निगम का 35.52 क्वीं0 का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कृषि निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के अंदर संब्रंधित जिला कृषि पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करें।

खरीफ 2014 में अनुदानित दर पर संकर धान बीज वितरण के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि किसी भी कम्पनी द्वारा अनुदान राशि घटाकर अपने विक्रेताओं को बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कम ही संभावना है कि विक्रेताओं द्वारा अनुदानित दर पर किसानों को संकर धान बीज उपलब्ध कराया गया होगा। इसलिए सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी जिन्होने संकर धान बीज का सत्यापन किया है अथवा करना है सत्यापित मात्रा के 50 प्रतिशत मात्रा से संबंधित किसानों की सूची का सत्यापन करायें तथा किसानों से स्टेटमेंट प्राप्त करें कि उन्हें 50 रू0 प्रति कि0ग्रा0 के अनुदान पर संकर धान बीज मिला है अथवा नहीं? जाँच कर सत्यापन प्रतिवेदन 10 मार्च 2015 तक उपलब्ध करायें।

रबी 2014–15 में अनुदानित दर पर गेहूँ प्रमाणित बीज वितरण से संबंधित सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि भोजपुर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, बांका, सारण, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं कटिहार जिला से सत्यापन की स्थिति शून्य है। कृषि निदेशक द्वारा जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया जिन्होने पूर्ण सत्यापन नहीं भेजा है, वे यथाशीघ्र सत्यापन प्रतिवेदन उप निदेशक (शष्य) बीज को उपलब्ध करायें।

उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा बीज सत्यापन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने का अनुरोध जिला कृषि पदाधिकारियों से किया–

- जिस योजना से लक्ष्य दिया गया हो, उसी योजना में सत्यापन करें।
- जिन फसल प्रभेदों की स्वीकृति दी गयी है, उन्हीं फसल प्रभेदों का सत्यापन करें।
- जिस कम्पनी को जितना लक्ष्य दिया गया हो, उसी का दावा प्रपत्र 'क' स्वीकार कर मात्रा सत्यापित करें।

कृषि निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे जिला जिनके द्वारा बिना लक्ष्य का प्रपत्र 'क' के आलोक में सत्यापन किया गया है उनसे स्पष्टीकरण की मांग किया जाय।

(अनुपालन – उप निदेशक (शष्य) बीज एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.4 एकीकृत बीज ग्राम योजना (गरमा)–

जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर अपने जिला में किसान मेला में व्यस्त रहने एवं उनके प्रतिनिधि बैठक में भाग नहीं लेने के कारण समीक्षा नहीं हो सकी। जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना को ससमय बिहार राज्य बीज निगम से मूंग बीज प्राप्त कराने का निदेश दिया गया एवं लाभार्थियों का चयन कर फरवरी 2015 के अंत तक एकीकृत बीज ग्राम योजना को कार्यान्वित करने का निदेश कृषि निदेशक द्वारा दिया गया। उत्पादन प्रमुख, बिहार राज्य बीज

3.3 जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर द्वारा योजना की समीक्षा के क्रम में जिले की उपलब्धि की जानकारी नहीं दी गई। वे बैठक में तैयारी के साथ नहीं आये थे। उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग)

3.4 पूर्वी चम्पारण के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेश के आलोक में कृषकों को अनुदान की राशि भुगतान करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को दिया गया।

(अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

3.5 गोबर गैस योजना में पटना जिला की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत पत्र निर्गत कर स्थिति स्पष्ट कर लें साथ ही संबंधित एन0जी0ओ0 की बैठक बुलाकर इसका अनुपालन करायें। सभी जिला कृषि पदाधिकारी ध्यान देंगे कि जिस एन0जी0ओ0 को 10 लाख से ऊपर का भुगतान होगा, उसपर सर्विस टैक्स भी लगेगा।

3.6 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस योजना अन्तर्गत दिनांक 28.02.2015 तक शत प्रतिशत राशि की निकासी कर ली जाय।

3.7 समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत जैविक उर्वरक कार्यक्रम की निकासी कर कुछ जिला कृषि पदाधिकारी अभी तक बैंक खाता में रखे हुये हैं। निदेश दिया गया कि अनुदान की राशि अगर वितरित योग्य है तो वितरित कर दिया जाय अथवा सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाय।

3.8 वर्ष 2014–15 के प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजनान्तर्गत कार्यक्रमवार कोषागार से निकासी की गई राशि, वितरण एवं अवशेष राशि का प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

3.9 अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट का वितरण निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर करने तथा वितरण के पश्चात् वर्मी कम्पोस्ट उपलब्धता का भंडार सत्यापन कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपंत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि खरीफ मौसम में उसका उपयोग कृषि विभाग की योजनाओं उसका में उपयोग करने की कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन– कंडिका 3.5, 3.7, 3.8 एवं 3.9 का सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4 <u>उर्वरक :–</u>

4.1 **कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि** पूर्णिया जिला में उर्वरक उपलब्ध नहीं रहने की सूचना जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा दी गयी है। उर्वरक कंपनियों से सम्पर्क कर जिलें में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

4.2 **सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को** निदेश दिया गया कि रैक प्वाइन्ट पर 8 से 9 घंटो के अन्दर उर्वरक का अनलोडिंग कराना सुनिश्चित किया जाय। जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में रेलवे के पदाधिकारी/उर्वरक वितरक/मजदूर संघ के प्रतिनिधि की बैठक बुलाकर कम से कम समय में उर्वरक का अनलोडिंग कराने एवं इसमें आ रही समस्याओं का समाधान कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4.3 **प्रभारी पदाधिकारी उर्वरक कोषांग** को निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को उर्वरक परिचालन का कार्यक्रम ससमय उपलब्ध करा दिया जाय। ताकि जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित कंपनी से बात कर यह पता कर लें कि उनके जिले का रैक की क्या स्थिति है एवं जिला में कब पहुँच रहा है।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी)